8.2.2023 पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उप0।

विप्रार्थी सं. 1,4,14,16 व 36 के वकील उपस्थित।

14 व 16 विप्रार्थी वकील को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर उकी ओर से जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण को भी सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 32 की संयुक्तखातेदारी का खेत निम्न प्रकार आए हुए है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्तखातेदारी खेत खसरा संख्या 259 रकबा 2.7102 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम मौजा सारणों का सरा पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी, प्रार्थीगण संख्या 2 व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्तखातेदारी का खेत खसरा संख्या 268 रकबा 5.2342 हैक्टेयर मौजा सारणों का सरा पटवार हल्का नेहरों की ढाणी, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 32 की संयुक्तखातेदारी का खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा 30.6449 हेक्टेयर मौजा सारणों की ढाणी

8/2/23

हेक्टेयर मौजा सारणों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का संयुक्तखातेदारी का खेत खसरा संख्या 239 रकबा 1.1892 हैक्टेयर, खसरा संख्या 245 रकबा 0.0243 हैक्टेयर मौजा मेघवालों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 32 की संयुक्तखातेदारी का खेत खसरा संख्या 250 रकबा 2.2167 हैक्टेयर, खसरा संख्या 262 रकबा 5.9057 हैक्टेयर व खसरा संख्या 268/2 रकबा 1.0922 हैक्टेयर मौजा सारणों का सरा पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम सारणो का सरा के खसरा संख्या 268 में प्रार्थीगण संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, खसरा संख्या 259 में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा, खसरा संख्या 250, 262 व 268/2 में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/48–1 /48 हिस्सा, ग्राम सारणों की ढाणी खसरा संख्या 53/1 में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा ग्राम मेघवालों की ढाणी खसरा संख्या 239 व 245 में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/8 1/8 हिस्सा दर्ज है जो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण कि हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सो में माफिक प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है जो प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 32 के मध्य 28 वर्ष पूर्व सम्वत् 2060 में गांव के मौजीज लोगो के रूबरू आपसी सहमती से बाहमी बंटवारा किया गया था उसी के अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपना–अपना पृथक कब्जा काश्त अनुसार काश्त व रहवास करते आ रहे है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त वर्षो पुराने रहवास व कब्जा काश्त से बेदखल करने की नीयत संयुक्तखातेदारी की भूमि किसी अजनबी केता को बेचान या अन्य प्रकार से हस्तातरण करने पर उतारू है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढ़ो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जा कारत में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बटवाड़े अनुसार कायम सेढों को तोड़ रह है एवं प्रर्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते हैं. जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपज़ाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थीगण को आवेदन स्वीकार कर मौजा सारणों का सरा पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 268 रकबा 5.2342 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 259 रकबा 2.7102 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 250 रकबा 2.2167 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 262 रकबा 5.9057 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम खसरा संख्या 268/2 रकबा 1.0922 किस्म बा. दोयम व मौजा सारणों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 53/1 रकबा 30.6449

व मौजा सारणों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 53/1 रकबा 30.6449 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा मौजा नेवकालों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 239 रकबा 1.1892 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 245 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करे तथा न ही बंटवारा पूर्व बेचान कर जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें। बंटवाड़ा होने तक राजस्व रिकार्ड को यथास्थिति बनाये रखें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

इसके विपरित वकील विप्रार्थी सं. 1,4 व 36 ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का राजस्व वाद ठोस आधारों पर स्थित नहीं होने से व प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का मामला कमजोर होने से प्रार्थीगण का दावा खारिज योग्य है। रेकर्ड दर्ज हिस्सानसार काबिज काश्त करते आ रहे है। कि मौजा सारणों का सरा खसरा संख्या 268 रकबा 5. 2342 हैक्टेयर जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने अपने सम्पूर्ण 1/6–1 /6 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी संख्या 36 के पक्ष दिनांक 01.03.2022 को कर दिया जिसका नामb संख्या 86 दर्ज किया जो प्रक्रियाधीन था इससे व्यथित होकर एवं गलत हक हिस्से की मांग करते हुए प्रार्थीगण द्वारा यह वाद के साथ के साथ आवेदन पत्र पेश किया जो सारहीन एवं चलने योग्य नही है। कि प्रार्थी के आवेदन में वर्णित खसरा संख्या व रकबा एवं प्रार्थीगण के हक हिस्सों का वर्णन किया गया जो सही है लेकिन उक्त खसरों में प्रार्थीगण के साथ विप्रार्थीगण का जमाबन्दी में नाम व हिस्सा दर्ज है और उनका भी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। रेकार्डेड खातेदारों के खिलाफ एकतरफा निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थीगण अधिकारी नही है और न ही उक्त खसरे में विप्रार्थीगण आगे किसी प्रकार का हस्तान्तरण बेचान करने को उतारू है। इस प्रकार विप्रार्थीगण संख्या एक व चार ने अपने हिस्से का विक्रय विप्रार्थीगण संख्या 36 को किया है जिसमें प्रार्थीगण की सहमति की कोई आवश्यकता नही है और विप्रार्थी ने अपने कब्जे की भूमि पर विप्रार्थी संख्या 36 को कब्जा दिया है जिस पर विप्रार्थी काबिज काश्त है और प्रार्थीगण के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी विप्रार्थी संख्या 36 के द्वारा नहीं की जा रही है कि विभाजन को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, विप्रार्थी संख्या 36 ने कभी भी मौखिक बटवाड़े के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग तरमीम करवाने का कभी भी विरोध नहीं किया प्रार्थी बंटवाड़ा करने में आना–कानी कर रहा है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के एक दूसरे की भूमि में कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कि प्रार्थी, विप्रार्थी संख्या 36 को खर्चे से जैरबार करने व परेशान करने से उद्देश्य से श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थी संख्या 36 के विरूद्ध जारी रहती है तो विप्रार्थी संख्या 36 को भारी क्षति होगी. अतः ऐसी दशा में एक संयुक्त खातेदार अन्य संयुक्तखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता। प्रार्थी की दरख्वास्त बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमायी जावें

कलेक्टर
सिणधरी

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खेत मौजा सारणों का सरा पटवार हल्का नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 268 रकबा 5.2342 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 259 रकबा 2.7102 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 250 रकबा 2.2167 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 262 रकबा 5.9057 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम खसरा संख्या 268/2 रकबा 1.0922 किस्म बा. दोयम व मौजा सारणों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 53/1 रकबा 30.6449 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा मौजा मेघवालों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 239 रकबा 1.1892 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 245 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम पक्षकारान की संयुक्त एवं सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें पक्षकारान् के हिस्से भी राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है। जंहा तक प्रार्थी वकील का तर्क है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रदोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामलाती भूमि के कब्जे को लेकर है, जंहा तक प्रार्थीगण वकील की दलील है कि जब तक विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की सामलाती भूमि पर समान रूप से कब्जा माना जाता है, इस स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में सामलाती कब्जे काश्त की भूमि में दोनों पक्षों को उनके आपसी कब्जे काश्त की भूमि में जब तक विधिवत विभाजन न हो तब तक मौके पर कब्जे काश्त की भूमि पर जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत मौजा सारणों का सरा पटवार हल्का नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 268 रकबा 5.2342 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 259 रकबा 2.7102 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 250 रकबा 2.2167 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 262 रकबा 5.9057 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम खसरा संख्या 268/2 रकबा 1.0922 किस्म बा. दोयम व मौजा सारणों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 53/1 रकबा 30.6449 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा मौजा मेघवालों की ढाणी पटवार हल्का नेहरों की ढाणी खसरा संख्या 239 रकबा 1.1892 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम, खसरा संख्या 245 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के संबंध में ताफैसला मूल वाद तक दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि पक्षकार एक-दूसरे के मौका

कब्जा स्थिति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।